

सि.ए.एम.
शा.जा.म.र.

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा

:: विविध-आदेश ::

क्रमांक 60/सां0लि0-28/2006

हरदा, दिनांक 05.09.2022

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के पत्र क्रमांक ए/3452 दिनांक 04.09.2022 के अनुशरण में महिलाओं के विरुद्ध अपराध (आफन्स अगेन्स्ट वीमेन-OAW) के प्रकरणों के निराकरण हेतु द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदा के न्यायालय को विशेष न्यायालय (OAW) हरदा के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

सही/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा

पृष्ठांक क्रमांक 11 SB(8) /सां0लि0-28/06

हरदा, दिनांक 05/09/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरदा
3. पुलिस अधीक्षक, हरदा
4. सचिव, बार एसोसिएशन, हरदा/टिमरनी/खिरकिया
5. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
6. सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य-विभाजन आदेश जिला न्यायालय, हरदा की वेबसाइट पर अपलोड करें तथा सर्वसंबंधित की ओर ऑनलाईन प्रसारित करें।

5.9.22

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा